I/531175/2024

जारी 30-03-2024

जारी 30-03-24

संख्या–419 /39-04-2024-15(116)/2022

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च 2024

विषय – टी0आर0-27 के माध्यम से किये गये भुगतान का समायोजन किये जाने हेतु मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव,लोक आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2505/लो0आ0-2024-41/2022 दिनांक 22.03.2024 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2070 के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में उपलब्ध बचत की धनराशि में से लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) मद में रूपये 2,45,000/- (रूपये दो लाख पैतालीस हजार मात्र) का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम एवं शर्तें

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण किया जायेगा तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 का होगा।

(3) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-2027/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

(7) प्रश्नगत धनराशि का पुनर्विनियोग टी0आर0-27 नियमों के अधीन किये गये भुगतान को समायोजित किये जाने हेतु किया जाना है । अतः लोक आयुक्त संगठन टी0आर0-27 नियमों के अनुपालन हेतु स्वस्तर से सुनिश्चित हो लेंगे।

(8) धनराशि आहरित करने से पूर्व लोक आयुक्त संगठन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त मानदेय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब मानदेय प्रदान किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(9) लोक आयुक्त संगठन कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित मानदेय की निर्धारित दर एवं कार्मिको की पात्रता के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(10) कार्मिको को दिया जाने वाला मानदेय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा ।

(11) लोक आयुक्त संगठन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(12) यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में लोक आयुक्त संगठन को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,45,000 (रुपये दो लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 082 लेखा शीर्षक 2070001040500 लोक आयुक्त संगठन मानक मद 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0संख्या-बजट-1-857-E-12-636-X-2023-24 दिनांक 29 मार्च, 2024 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by राम नगीना मौर्य
Date: 30-03-2024 17:39:19
Reason: (राम नगीना मौर्य),
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) आदेश पुस्तिका।

संलग्नक:-यथोक्त।

30/03/2024
(राम नगीना मौर्य),
विशेष सचिव